न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 32/2018 ::

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

गोरधन पुत्र घीसाराम जी जाति गुरू निवासी दयालपुरा, तहसील पाली जिला पाली

1. होशियारमल तथाकथित पुत्र श्री घीसाराम, जाति गुरू निवासी कुरना, तहसील व जिला पाली
2. लक्ष्मीदेवी तथाकथित पुत्री श्री घीसाराम, जाति गुरू निवासी गुड़ा इन्द्रपुरा, तहसील व जिला जालोर (राज.)
3. तहसीलदार (भूमिधारी), पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित

रेस्पोडेण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.02.2020

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार पाली दिनांक 11.4.2018 नामान्तरकरण संख्या 2072 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है जिसे दर्ज रजिस्टर कर मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के राजस्व अपील संख्या 82/2018 के निर्णय दिनांक 26.12.2019 बअनवान गोरधन बनाम होशियार मल वगैरा की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उक्त अपील ग्राम दयालपुरा के नामान्तरकरण संख्या 2072 जो तह0 के आदेश दिनांक 11.4.2018 के विरूद्व पेश की गई थी तथा पक्षकारान एवं जैर अपील आराजी भी दोनो प्रकरण में एक ही है। तहसीलदार पाली द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर आदेश पारित किया जो राज. भु. राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत किया जाने से इसकी अपील श्रीमान अतिरिक्त न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय के प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय में उक्त अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक 26.12.2019 को निर्णय पारित कर दिया है जिसके अनुसार तहसीलदार पाली के निर्णय को अपास्त किया जाकर अपील आंशिक स्वीकार करते हुएं पुनः सुना जाकर तहसीलदार को आदेशित एंव निर्देशित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकरण में अलग से दीगर निर्णय पारित नही किया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। तहसीलदार पाली को मुल नामान्तरकरण के साथ निर्णय की प्रति सुचनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली